Sr. DR(A) 17.6.16

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक : प. 1(7)न्याय/2014 जयपुर, दिनांक . 06.06.2016

:: अधिसूचना ::

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (1950 का अध्यादेश संख्या-7) की धारा 7 की उपधारा (1), धारा 12 की उपधारा (1) एवं धारा 16 की उपधारा (1) तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या-2) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से निम्नलिखित सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय तुरन्त प्रभाव से सृजित एवं स्थापित करती है-

क्र.सं.	नवसृजित न्यायालय का नाम	जिला	बैठक का स्थान
1	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालाखेड़ा	अलवर	मालाखेड़ा
2	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, जमवारामगढ़	जयपुर जिला	जमवारामगढ़

नोट:- उक्त न्यायालय का स्थानीय क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 की धारा 10 (3) एवं 7(2) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत संबंधित जिला एवं सैशन न्यायाधीश व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

1603 17/6/16

राज्यपाल के आदेश से,
सही/-
(मनोज कुमार व्यास)
प्रमुख शासन सचिव

राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

कमांक: सामान्य/II/14/2008(S)/ 800 दिनांक : **15/06/2016**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/ जयपुर पीठ, जयपुर (रजिस्ट्रार (CPC) को वास्ते उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने)
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश अलवर/ जयपुर जिला
3. संबंधित न्यायालय
4. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट अलवर/ जयपुर जिला
5. प्र.अ.न्या. गोपनीय/ अधीनस्थ न्यायालय स्था. शाखा/ रा.न्या.से.स्था.शाखा/ सांख्यिकी/ बजट/ भवन/ कम्प्युटर सेल, रा.उ.न्या., जोधपुर।

824 18/6/16

15.6.16
रजिस्ट्रार (नियम)